

आदेश फलक

राष्ट्रीय / निरन्तर लोक अदालत

क्रम संख्या	तिथि	आदेश	कार्यालय उपयोग हेतु
09.09.2023		अभिलेख अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) के न्यायालय से समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 09.09.2023 को प्रस्तुत किया गया। इस वाद में सभी धाराएं शमनीय है। पक्षकार उपस्थित है। उभयपक्ष ने यह स्वीकार किया है कि उनके मध्य संधि हो चुका है तथा सन्धि के आलोक में यदि मामले को समाप्त किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः सुलह के आधार पर अर्वार्ड पर पक्षकार का हस्ताक्षर कराया गया तथा निष्पादन हुआ। कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में भेजें। सदस्य पीठासीन पदाधिकारी	